

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2016—श्रावण 3, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. बी-7-(ए)-12-2016-2-पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती द्वारा;”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. बी-7-(ए)-12-2016-2-पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7-(ए)-12-2016-2-पांच (20), दिनांक 25 जुलाई, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 25th July 2016

No. B-7-(A)-12-2016-2-V-(20).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Excise Sub-ordinate Class-III (Ministerial) Service Recruitment Rules, 1983, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) By direct recruitment through competitive examination;”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.